न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 45/2020 (75 एल0आर0एक्ट) चांदमल बनाम दानमल
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2020/00054)

1 चांदमल पिता केसरीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम लापस्या तहसील अकलेरा
2 रमेशचंद पिता केसरीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम लापस्या तहसील अकलेरा
3 भगवान पिता रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम लापस्या तहसील अकलेरा

..... अपीलांटस

बनाम

1 दानमल पिता प्रभू उर्फ प्रभूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम लापस्या तहसील अकलेरा
2 सुन्दरबाई बेवा प्रभू उर्फ प्रभूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम लापस्या तहसील अकलेरा
3 सन्तोष बाई पुत्री प्रभू उर्फ प्रभूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम लापस्या हाल ग्राम मोरेली तहसील अकलेरा
4 राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार अकलेरा

..... रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश तहसीलदार अकलेरा दिनांक 07.07.2017 नामान्तकरण सं0 573 ग्राम लापस्या

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सक्सेना
2 रेस्पो. सं. 1 लगायत 3 अनुपस्थित
3 रेस्पो. सं. 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री मुकेश जैन

–: निर्णय :–

दिनांक 26.02.2021

1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार अकलेरा के द्वारा ग्राम लापस्या के नामान्तकरण सं0 573 दिनांक 07.07.2017 को पारित किये गये आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को केडोन करने का निव[illegible]

2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अ[illegible]के द्वारा ग्राम लापस्या तहसील अकलेरा के खाता सं0 60 व [illegible] की आराजी खातेदार रेस्पोडेन्टस दानमल,सुन्दरबाई व [illegible] दिनांक 11.08.201[illegible] खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, इस बाबत पटवारी [illegible]ारा नामान्तकरण में [illegible] कर रखी है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के नामान्तकरण को निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.03.03 10:54:15 IST
Reason: SelfAttested

करके गलती की है। यह कि तहसीलदार अकलेरा के द्वारा दिनांक 07.07.2017 को नामान्तकरण खारिज किया गया है। जिसका ज्ञान अपीलान्टस को दिनांक 20.07.2020 को हुआ जबकि अपीलान्टस ने खातेदारी के बारे में पता करने पर अपीलान्टस को पता लगा । इसके बाद अपीलान्टस ने मालूमात करके नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 22.07.2020 को प्रा0पत्र अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया जिस पर नकल दिनांक 22.07.2020 को मिली इस प्रकार यह अपील दिनांक ज्ञान से अन्दर मियाद काबिल समाअत अदालत हाजा में प्रस्तुत है। मियाद मुआफी हेतु प्रा0पत्र अलग से प्रस्तुत है। यह कि अपीलान्टस के द्वारा ग्राम लापस्या के खाता सं0 60 व 148 की आराजी खातेदारान रेस्पोद्ध नं0 1 लगायत 3 से दिनांक 11.08.2016 को जर्ये रजिर्स्टड विक्रय पत्र खरीदकर कब्जा प्राप्त कर लिया था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने मिलान के अभाव नामान्तकरण निरस्त करने में कानूनी गलती की है । पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण में रिपोर्ट भी कर रखी है कि विक्रय पत्र दिनांक 11.08.2016 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 126 के पृष्ट संख्या 53 पर पंजीबद्व होना अंकित है। यह कि उक्त आराजी पर अपीलान्टस का कब्जा है। अधिनस्थ न्यायालय को नामान्तकरण निरस्त करने से पूर्व कोई नोटिस नही दिया, अपीलान्टस की सुनवाई किये बगैर नामान्तकरण निरस्त कर दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित है, इस कारण से अधिनस्थ न्यांयालय ने नामान्तकरण निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की है। अतः नामान्तकरण सं0 573 दिनांक 07.07.2017 निरस्त फरमाकर अपीलान्टस के विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण अपीलान्टस के पक्ष में तस्दीक किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडन्ट नं0 1 लगायत 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे, रेस्पोडेन्ट नं0 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री मुकेश जैन उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सक्सेना द्वारा अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्टस द्वारा दिनांक 11.08.2016 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ग्राम लापस्या के खाता सं0 60 व 148 की आराजी भूमि जो रेस्पोडेन्ट सं0 1 लागायत 3 के हिस्से की खातेदारी में दर्ज आराजी थी क्रय की गई थी। जिसका नामान्तकरण अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक करने के स्थान पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी एवं कानूनगो की नामान्तकरण पर अंकित रिपोर्ट खाता सं0 148 में विक्रेताओ के हिस्सा स्पष्ट नही होने से खाते एवं बेनामे का आपस में मिलान नही होता है, को आधार मानकर नामान्तकरण खारिज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय का यह कृत्य प्राकृतिक न्याय के विपरित है। अधिनस्थ न्यायालय को अपीलान्टस को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी करना चाहिये था ताकि अपीलान्टस अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। अपील तारीख ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जावे जिसका प्रा0पत्र मय शपथ पत्र पृथक से अपील के संलग्न किया गया है। प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2017 निरस्त फरमाकर अपीलान्टस के विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण को अपीलान्टस के पक्ष में तस्दीक किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.03.06 10:54:15 IST
Reason: SelfAttested

5 रेस्पो. सं0 4 की ओर राजकीय अधिवक्ता मुकेश जैन द्वारा दोराने बहस कथन किया किया कि ग्राम लापस्या कि खाता सं0 148 की आराजी शामलाती खातेदारी के आराजी है, जिसमें रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 3 के अलावा अन्य खातेदार भी है, जिसके कारण पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अंकित रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्टस द्वारा क्रय की गई आराजी का नामान्तरण खारिज किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2017 विधि अनुरूप होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने योग्य है।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।
अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा–5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। प्रकरण के तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मध्य नजर एवं रेस्पोडेंट सं0 4 के राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रा0पत्र का कोई जवाब या खण्डन में काउंटर शपथ पत्र पेश नही करने के कारण अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील न्यायहित में अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7 अपीलान्टस के अधिवक्ता ने अपील यह तर्क दिया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का लापस्या एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्टस द्वारा क्रय की गई ग्राम लापस्या के खाता सं0 60 एवं 148 की आराजी भूमि का नामान्तकरण उसके पक्ष मे तस्दीक नही किया गया बल्कि उसको निरस्त कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय को नामान्तकरण निरस्त करने से पूर्व अपीलान्टस को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना चाहिये था। हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्टस द्वारा ग्राम लापस्या के खाता सं0 60 व 148 की आराजी जिसमें रेस्पोंडेन्टस 1 लगायत 3 का हिस्सा था, जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.08.16 को रेस्पोंडेन्टस 1 लगायत 3 से क्रय की है । पटवारी हल्का लापस्या द्वारा नामान्तकरण सं0 573 के कॉलम सं0 14 में दिनांक 11.11.2016 को यह रिपोर्ट अंकित की है कि दिनांक 11.08.2016 पु0सं0 1 जिल्द सं0 126 में पृष्ठ सं0 53 पर पंजीबद्व किया गया व तहसीलदार अकलेरा के आदेश 19.09.16 की पालना में नामान्तकरण के कालम सं0 16 में विक्रयपत्र अनुसार खसरा नं0 275 की 7.09 में विक्रेता सुन्दर बाई व सन्तोष बाई का हिस्सा 2/3 मय चाह सम्पूर्ण व 595 की 12.09 में दानमल, सुन्दरबाई व सन्तोष बाई का हिस्सा 15/249 आराजी का बेचान क्रेता भगवान सिह हिस्सा 1/2, चान्दमल का हिस्सा 1/4 रमेशचन्द का हिस्सा 1/4 बेचान किया गया। अतः विक्रेता के स्थान पर क्रेता के पक्ष में नामान्तकरण खोल कर श्रीमान की सेवा मे पेश है। इसके पश्चात पृथक से पटवारी हल्का लापस्या द्वारा ना[illegible] पर एक ओर रिपोर्ट यह अंकित की गई है कि स्याही से मिलान नही होने [illegible] खारिज फरमाया जावे पटवारी हल्का द्वारा हस्ताक्षर अंकित किये परन्तु दिनांक अंकित नही की गई । भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा 20.12.16 को नामान्तरण [illegible] यह रिपोर्ट अंकित की गई कि जॉच की गई खाता सं0 148 में विक्रेताओं का हिस्सा स्पष्ट नही होने खाते एवं बैनामे का आपस में मिलान नही होता है। तहसीलदार अकलेरा द्वारा पटवारी हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.03.03 10:54:15 IST
Reason: Self Attested

एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की उक्त रिपोर्ट के आधार पर नामान्तकरण निरस्त कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस को सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई भी अवसर दिये जाने का नामान्तकरण में उल्लेख नही है । यदि पटवारी द्वारा नामान्तरण में निर्धारित किया गया हिस्सा विवादित या संदेहास्पद है तो अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करने से पूर्व पक्षकारों को नोटिस जारी कर सुनवाई का समूचित अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एक पक्षीय, विधि के प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित होने से न्यायोचित नही माना जा सकता। अतः तहसीलदार अकलेरा द्वारा ग्राम लापस्या तहसील अकलेरा के नामान्तकरण सं0 573 में दिनांक 07.07.2017 को पारित निर्णय निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

8 अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं तहसीलदार अकलेरा द्वारा ग्राम लापस्या तहसील अकलेरा के नामान्तकरण सं0 573 दिनांक 07.07.2017 में पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार अकलेरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नामान्तकरण में निर्णय पारित करने से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना करते हुए विधि अनुरूप प्रभावित पक्षकार/सहखातेदार को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करें।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

9 निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dataram
Date: 2021.03.03 10:54:15 IST
Reason: SelfAttested